

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267068
SG-DL-E-22102025-267068असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 293
No. 318]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947	[N. C. T. D. No. 293

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविकास विभाग
(विकास आयुक्त कार्यालय)
अधिसूचना

दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2025

एफ. 12 (111)/91/एचडी/400.— सरकार की अधिसूचना सं. एफ. (12) (111)/एचडी/204 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के निरस्त करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों के तहत राज्य स्तर पर पशु कल्याण से संबंधित विषयों के समाधान हेतु अनुसूची के अनुसार दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है। यह बोर्ड शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) के रूप में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत 11 जिला पशु क्रूरता निवारण समितियों एवं पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संगठनों/ समितियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

अनूसुची

क्र० सं०	सदस्य	पद
1.	माननीय मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार	पदेन अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह), दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
3.	प्रमुख सचिव / सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
4.	प्रमुख सचिव / सचिव (विकास विभाग), दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
5.	प्रमुख सचिव / सचिव (वन), दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
6.	प्रमुख सचिव / सचिव (परिवहन), दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
7.	विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
8.	मुख्य वन्यजीव प्रबंधक, दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
9.	निदेशक, स्थानीय निकाय, दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
10.	रजिस्ट्रार, राज्य पशु चिकित्सा परिषद, दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
11.	निदेशक, शिक्षा, दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
12.	निदेशक, पशुपालन विभाग, दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य सचिव

बोर्ड की बैठक आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाएगी। अन्य सदस्यों के नामांकन यथासमय प्रस्तावित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शूरबीर सिंह, सचिव एवं विकास आयुक्त

DEVELOPMENT DEPARTMENT
(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER)
NOTIFICATION

Delhi, the 16th October, 2025

No. F. 12(111)/91/AHD/400.—In the suppression of this Government's notification No. F. 12(111)/91/AHD/204, dated 18th April, 2023, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute Delhi Animal Welfare Board as per schedule to address Animal welfare issues at the State level as mandated in various rules framed under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. The Board will act as the governing body and extend financial as well as technical assistance including guidelines to 11 District Society for Prevention of Cruelty to Animals and organizations/societies involved in animal welfare work in National Capital Territory of Delhi.

SCHEDULE

S. No.	Member	Designation
1	Hon'ble Minister of Animal Husbandry, Development, GNCTD	Ex-Officio Chairperson
2	Pr. Secretary/Secretary (Home), GNCTD	Ex-Officio Member
3	Pr. Secretary/Secretary (Finance), GNCTD	Ex-Officio Member

4	Pr. Secretary/Secretary (AH, Development), GNCTD	Ex-Officio Member
5	Pr. Secretary/Secretary (Forest), GNCTD	Ex-Officio Member
6	Pr. Secretary/Secretary (Transport), GNCTD	Ex-Officio Member
7	Development Commissioner, GNCTD	Ex-Officio Member
8	Chief Wildlife Warden, GNCTD	Ex-Officio Member
9	Director, Local Bodies, GNCTD	Ex-Officio Member
10	Registrar, State Veterinary Council, GNCTD	Ex-Officio Member
11	Director (Education), GNCTD	Ex-Officio Member
12	Director (Animal Husbandry), GNCTD	Ex-Officio Member Secretary

The Board shall meet as and when required. Nomination for other members will be proposed in due course.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
SHURBIR SINGH, Secy.-cum-Commissioner (Development)